File No - 2/28/2001-2 AM

हरियाणा सरकार

विषय : हरियाणा राज्य अभिलेखागार तथा क्षेत्रीय अभिलेखागारों की स्थापना एवं अभिलेखागार का विकास नान प्लान - स्कीम 2002-2003.

वि०प०

इस केस का संबंध क्षेत्रीय अभिलेखागारों की स्थापना एवं अभिलेखागारों का विकास नान प्लान एन. ई. 2002-03 से है।

विभाग ने सूचित किया है कि वर्ष 2001-2002 में रु 58,68,000 की राशि स्वीकृत की थी। विभाग का कहना है कि वर्ष 2002-2003 में विचाराधीन स्कीम को जारी रखना आवश्यक है। विचाराधीन स्कीम के निम्न विवरण अनुसार रु 69,29,000 की बजट व्यवस्था करने तथा खर्च के शेड्यूल में दर्शाए गए पूर्व स्वीकृत पदों को जारी रखने व उनके वेतन भत्तों तथा कार्यालय खर्चा व अन्य फुटकर खर्च के लिए रु 69,29,000 रु की मांग की है जिसका विवरण इस प्रकार है :-

1-4 page

(1) वेतन	रु	33,59,000/-
(2) चिकित्सा	रु	50,000/-
(3) प्रतिपूर्ति भत्ता महंगाई भत्ता	रु	13,34,000/-
(4) एल. टी. सी.	रु	80,000/-
(5) टी. ए.	रु	1,00,000/-
(6) किराये दरें तथा कर	रु	11,12,000/-
(7) फिक्स्ड चिकित्सा प्रतिपूर्ति	रु	74,000/-
(8) कार्यालय व्यय	रु	2,50,000/-
(9) अन्य प्रभार	रु	2,50,000/-
(10) मैटिरियल एवं सप्लाई	रु	2,60,000/-
(11) पी. ओ. एल.	रु	60,000/-
		रु 69,29,000/-

इसके साथ ही विभाग ने यह भी अनुरोध किया है कि इस सम्बन्ध में होने वाला खर्चा मुख्य शीर्ष 2205-कला एवं संस्कृति-102-कलाओं एवं संस्कृति की उन्नति-नान प्लान स्कीम सेटिंग अप आफ हरियाणा राज्य अभिलेखागार तथा क्षेत्रीय अभिलेखागार एवं अभिलेखागार

वि.प.

हरियाणा सरकार

गत पृष्ठ से आगे।

का विन्यास 2002-2003 को वहन होगा।

विभाग का प्रस्ताव उचित है अतः यह केस वित्त विभाग को इस अनुरोध के साथ भेज दिया जाये कि वे अपना विषयोक्त स्कीम को वर्ष 2002-2003 के बजट में एस॰ एन॰ ई॰ के माध्यम से रु॰ 69,21,000 की लागत से सम्मिलत करने एवं राशि को खर्च करने तथा प्रस्तावित पदों को जारी रखने हेतु स्वीकृति जारी करने के लिये अपनी मंत्रणा प्रदान करें। अतः अधिकारीगण सहमत हो तो केस वित्त विभाग को भेज दिया जाये। मैं CAA संशोधन के अनुसार प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सीला
8/11

S.A

[signature]
8-11-2001

U.S.A.A

[signature]
12/11 USAA

Level
C.A.A.

274-USAA
13/11/2001

S.S.A.A

[signature]
20/12
ANURADHA GUPTA
S.S.A.

C.A.A

S.S.A.A

[signature] 24/12

21.12
160
Dated 24/12/2001

[signature]
3
F. D-III ANURADHA GUPTA
S.S.A.

Higher Education Commissioner
24 DEC 2001
5772
HARYANA CHANDIGARH

वित्त विकास शाखा-III
डायरी नं॰ 54
दिनांक 7-1-02

GOVERNMENT OF HARYANA

[signature] 7/1

HIGHER EDUCATION COMMR. HARYANA CHANDIGARH 1827 No.

वित्त विभाग

विषय:- एस०एन०ई० 2002-03(नान-प्लान) मुख्य शीर्ष 2205-कला एवं संस्कृति-डिवैल्पमैंट आफ आरकाईवज़/रिजनल रिपोजिटरीज़ ।

xxxxx

वित्त विभाग प्रस्तावित स्कीम को वित्तीय वर्ष 2002-03 में अनावर्ती आधार पर जारी रखने हेतु निम्नप्रकार से बजट व्यवस्था करने के लिए सहमत है:-

(राशि रुपयों में)

1.	सैलरीज़	31,66,000
2.	डी०ए०	13,93,000
3.	टी०ए०	33,000
4.	ओ०ई०	62,000
5.	पी०ओ०एल०	22,000
6.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	10,000
7.	किराये	11,12,000
8.	एम० एण्ड एस०	12,000
9.	अन्य खर्चे	6,000
	जोड़ =	58,16,000

डायरी संख्या 161
दिनांक 22/3/02
कला संस्कृति एवं अभिलेखागार शाखा

राम कृष्ण शर्मा 20/3/02
अधीक्षक, वित्त विभाग-III
कृते: वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।

सेवा में,

अवर सचिव अभिलेखागार ।

अशा० क्र० : 1/9 /2002 - 3 वि०वि० III/54 दिनांक: 20-3-02

21/3/02

SAA W 25/3
2 AAM

हरियाणा सरकार

गत पृष्ठ-3 पर वित्त विभाग की मंत्रणा अनुसार प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

सीमा
26/3

S.A

26/3/2012

U.S.A.A.

26/3

SAA

हरियाणा सरकार

वि०प०

यह केस अभिलेखागार हिसार कार्यालय को सरकारी भवन लघु सचिवालय हिसार के स्थानान्तरण करने हेतु 10,000 रु की अतिरिक्त राशि के रूप में स्वीकृत करने से सम्बन्धित है।

इस केस के तथ्य इस प्रकार है कि अभिलेखागार हरियाणा ने वि०प० द्वारा सूचित किया है कि वर्ष 2002-2003 के लिए रु 58.16 लाख की राशि स्वीकृत की है उसमें से कैटेगरी की मदों में रु 80,000/ की ओ.ई. + ओ.सी. व एम. खण्ड में राशि स्वीकृत है जो मुख्यालय व चारों क्षेत्रीय अभिलेखागार, अम्बाला, हिसार, रोहतक व गुड़गांव कार्यालयों के बिजली, पानी, व टेलीफोन तथा अन्य खर्चों के लिए अपर्याप्त है। अब निदेशक हिसार को ओपिक रु 6688/- का है। अब निदेशक हिसार को सरकारी भवन जो किराये पर स्थित था को सरकारी भवन लघु सचिवालय हिसार में स्थानान्तरित करना है जिसकी बिजली वायरिंग के लिए कम से कम रु 10,000 की राशि की आवश्यकता होगी। उपायुक्त हिसार ने उनके आदेश दि० 2-7-2002 के अंतर्गत स्थान आवंटित किया दि० ... है।

विभाग का प्रस्ताव उचित है अतः हम वित्त विभाग से अनुरोध करें कि 10,000 रु राशि उपलब्ध करने का ताकि दफ्तर सरकारी भवन को स्थानान्तरित हो सके। अब दफ्तर और सरकारी भवन को स्थानान्तरित हो सके। प्रकार मद में यह अतिरिक्त खर्च किराया की होने वाली बचत से जुटा लिया जाएगा और संशोधित अनुमानों में इसका प्रावधान कर लिया जाएगा। अतः मामला वित्त विभाग को प्रेषित कर दिया जाए।

Level S.S.A.A.

शीला 19/7/2002 S.A.

यथा प्रस्तावित 19/7/02

19/7 U.S.A.A.

129-USAA 19/7/2002

USAA

S.S.A.A.

19/7/02

F/D

23/7/02

Finance Dev Branch-I
Dy. No. 3998
Dtd. 23/7/02

GOVERNMENT OF HARYANA

Government of Haryana
Finance Department

हरियाणा सरकार
वित्त विभाग

विषयः– ओ0सी0 मद के अन्तर्गत अतिरिक्त राशि की स्वीकृति प्रदान करने बारे।

वित्त विभाग प्रस्तावित केस में ओ0सी0 मद के अन्तर्गत 10,000/–रुपये की अतिरिक्त राशि की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान करता है कि यह राशि आर.आर.टी. की आईटम में से वहन कर ली जाये तथा संशोधित अनुमानों के समय प्रस्तावित राशि की स्पैसिफिक तौर पर बजट में व्यवस्था भी करवाई जाये ।

अधीक्षक वित्त विकास–II
कृतेः वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।

विशेष सचिव, अभिलेखागार ।

अशा0क्र0 1/9/2002–4वि.विक.II/3098 दिनांक

आवती संख्या 347
12/9/02

US Arch
SA
12/9

उपरोक्त वित्त विभाग के मेमो अनुसार प्रारूप अनुमोदनार्थ/हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है
17/9/2002

S.A. Fair N.

स्वच्छ प्रारूप हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।
17/9/2002
S.A. Put up the case for approval of FD advice

हरियाणा सरकार

गत पृष्ठ - 6 पर वित्त विभाग की मंत्रणा अनुसार प्रारूप अनुमोदनार्थ / हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

सीमा
26/9/2002

S.A

30/9

USOA May allow to issue the sanction as per draft placed below.

22.10

SSAO

Sandhu
6/11

USOA

SA

6.11

7/11

DAA

GOVERNMENT OF HARYANA

हरियाणा सरकार

टि०प०

इस केस का संबंध क्षेत्रीय अग्निशमनागारों की स्थापना एवं अग्निशमनागारों का विस्तार नान प्लान स्कीम न-ई 2002-03 से है।

विभाग ने सूचित किया है कि वर्ष 2002-03 में रु. 58,16,000 की राशि स्वीकृत की थी। विभाग का कहना है कि वर्ष (2002-03) में विषयाधीन स्कीम को जारी रखना आवश्यक है। विषयाधीन स्कीम में निम्न विवरण अनुसार रु. 78,95,000 की बजट व्यवस्था करने तथा खर्च को जारी रखने व उनमें दर्शाए गए पूर्व स्वीकृत पदों को जारी रखने के लिए वेतन भत्तों तथा कार्यालय खर्चों व अन्य फुटकर खर्चों के लिए रु. 78,95,000 की मांग की है जिसका विवरण इस प्रकार है।

1)	वेतन रु	34,52,000
2)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता रु	55,000
3)	नियत चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता	78,000
4)	महंगाई भत्ता	15,78,000
5)	एच. आर. ए.	50,000
6)	सी. ए.	1,00,000
7)	निरीक्षण दौरा तथा मद रु	10,42,000
8)	कार्यालय व्यय	3,00,000
9)	अन्य प्रभार रु	2 50 000
10)	मरम्मत एवं सफाई	3 50 000
11)	पी. ओ. एल.	60 000
12)	मोटर वीकल	4 00 000
13)	स्टेशनरी	25 000
14)	वेबिस	30,000
15)	विज्ञापन	25,000
		78,95.000

इसके साथ ही विभाग ने यह भी अनुरोध किया है कि इस संबंध में होने वाला खर्चा मुख्य शीर्ष 2205-कला एवं संस्कृति -102-कला एवं संस्कृति की उन्नति

हरियाणा सरकार

गत पृष्ठ से आगे।

नान प्लान स्कीम "दी हिस्ट्री आफ आर्काइव्ज हरियाणा राज्य अभिलेखागार तथा क्षेत्रीय अभिलेखागार एवं अभिलेखागार का विकास 2003-04 को वहन होगा।

विभाग का प्रस्ताव उचित है अतः यह केस वित्त विभाग को इस अनुरोध के साथ भेज दिया जाए कि वे कृपया विचाराधीन स्कीम को वर्ष 2003-04 के बजट में एस-एन-ई- के माध्यम से रु. 78,95,000 की लागत से सम्मिलित करें एवं राशि को खर्च करें तथा प्रस्तावित पदों को जारी रखने हेतु स्वीकृति जारी करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करें। अतः अधिकारीगण सहमत हो तो केस वित्त विभाग को भेज दिया जाए।

सील।
12/11/2002 S.A

As proposed.
18/11/2002

SSA/A

14.11

Level F.C.A.A / F.D

28/11

498-FCAA
3/12/02

FCAA

USAA

1/XII

...JEE
...SKAR ...
F.C.T.C. & FCAA

Finance Dev Branch-II
Dy. No. 6608
Dtd. 12/12/02

S.A

4.12
(FDII) For

GOVERNMENT OF HARYANA

II

Government of Haryana
Finance Department

हरियाणा सरकार
वित्त विभाग

विषयः— SNE Non Plan 2003-04

Setting up of State Archives

वित्त विभाग प्रस्तावित चालू स्कीम को व उसमें केवल चालू स्वीकृत पदों को वर्ष 2003—2004 में आवर्ति/अनावर्ती(रैकरिंग/नान–रैकरिंग) नान–प्लान/~~प्लान~~ आधार पर जारी रखने के लिये निम्नलिखित राशि की प्रशासकीय स्वीकृति देने के लिये निम्न शर्तो पर सहमत है :—

01) Salary	2900000
02) Wages	10000
03) D.A.	1442000
04) T.E.	33000
05) O.E.	80,000
06) R.R.T.	10,40,000
09) G-I-A	–
19) M&E	–
21) M&V	–
24) M&S	12000
29) Depreciation	–
34) O.C.	6000
45) P.O.L.	22000
67) M.R.	10000
70) L.T.C.	–
79) Ex-gratia	25000
Total:	5580000

1. किसी नये पद की रचना नहीं की जायेगी ।
2. खर्चा स्वीकृत बजट व्यवस्था के अन्दर ही रहेगा तथा निर्धारित नार्म/नियमानुसार व सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा ।
3. प्रस्तावित वेतनमान राज्य सरकार के नवीनतम संशोधित/अनुमोदित वेतनमानों के अनुसार ही होंगें ।
4. ~~स्कीम वार्षिक योजना में शामिल होगी तथा विभाग का योजना स्तर बढ़ने न पाये चाहे बाद में कटौती भी क्यों न लग जाये~~ ।
5. सैलरी मद्दों की राशि बिना वित्त विभाग की अनुमति के किसी अन्य मद्द में डायवर्ट नहीं की जायेगी ।

83
26/3/03

Santosh Sx

अधीक्षक वित्त विकास—II
कृतेः वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

Special Secy Archives

अशा0क्र0 1/9/2002-4 FD II/6808 दिनांक 21/3/2003

हरियाणा सरकार

पूर्व पृष्ठ 11 पर वित्त विभाग की मांग अनुसार प्रारूप अनुमोदनार्थ / हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

शीला
1/4/2003

S.A (on leave)

U.S./S.A

Check the grand total of posts in the draft & put up.

[signature]
1.4

SA

[signature]
2.4

S.A

Check करके ठीक कर दिया है प्रारूप प्रस्तुत है।

[signature]
2/4/2003

S.A

उपरोक्त आदेशों के संदर्भ में फाईल पुनः प्रस्तुत है।

कमलकान्त
2-4-03

U.S./S.A.

May allow to issue the sanction as per dfa.

S.S. Archives

[signature]
3.4

[signature]
3/4/03

S.A

[signature]
3.4

[signature]
4.4

2 A.A

GOVERNMENT OF HARYANA

हरियाणा सरकार

वि०प०

पृ० 64-66

विभाग ने वि०प० के अंतर्गत अभिलेखागार विभाग ने सूचित किया है कि वित्त विभाग ने अपने पत्र क्र० 5/6/2002 के अंतर्गत यह हिदायतें जारी की थी कि जो पद दिनांक 31-12-2003 तक 2 वर्ष से खाली है, उन्हें समाप्त समझा जाये और उनके विभाग में दिनांक 31-12-2002 को सहायक अभिलेखपाल के 6 स्वीकृत पदों में से तीन पद भरे हुए थे और तीन पद उन पर नियुक्त सहायक अभिलेखपालों की पदोन्नतियां / त्याग पत्र देने से 2 वर्ष से अधिक अवधि से रिक्त थे।

विभाग ने दि: 4-6-2003 को वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक के समक्ष अनुरोध किया था कि सहायक अभिलेखपाल के उपरोक्त 3 रिक्त पदों को समाप्त न किया जाए बल्कि इन्हें भरने की अनुमति दी जाये जिस पर दि: 4-6-2003 को वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सहायक अभिलेखपाल के उपरोक्त 3 पदों को रिवाईव करने के लिए पूर्ण औचित्य के साथ वित्त विभाग को भेज दिया जाये इस बैठक की कार्यवाही जो वि० विभाग के प्रस्ताव दि: 30-6-2003 के अंतर्गत जारी की गई थी। इस संबंध में अभिलेखागार विभाग ने लिखा है कि यह रिक्तियां सीधी भर्ती के कोटे की थी इन्हें भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग पत्र भेजा गया था परन्तु बाद में सरकार द्वारा रिक्त पदों की भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाने दौरान वित्त विभाग ने दो वर्ष से खाली पदों को समाप्त करने बारे हिदायतें जारी कर दिया था जिसे हटाने के लिए विभाग ने प्रस्ताव भेजा गया था परन्तु जिस कारण सहायक अभिलेखपाल के उपरोक्त 3 पद दि: 31-12-2002 को दो वर्ष से

हरियाणा सरकार

गत पृष्ठ से आगे

अधिक अवधि से रिक्त होने के कारण समाप्त करने के दायरे में आ गये थे लेकिन वित्त विभाग का पत्र जारी होने से पूर्व विभाग द्वारा इन पदों सहित विभागाधीन जाब-ख्वाह स्कीम में स्वीकृत सभी पदों को वर्ष 2003-2004 में जारी रखने की स्वीकृति जारी करने के लिए विभाग ने दि 7-10-2002 को प्रस्ताव भेजा हुआ था जिस पर वित्त के अंतर्गत विभाग की सहमति से दि. 3-4-2003 के अंतर्गत इन पदों सहित सभी स्वीकृत पदों को वर्ष 2003-04 में जारी रखने की स्वीकृति जारी कर दी गई थी और सहायक अभिलेखपाल के उपरोक्त 3 रिक्त पदों को समाप्त करने बारे आगे के कोई नोटिफिकेशन आदि जारी नहीं किया गया है और इस प्रकार यह पद वास्तविक रूप से समाप्त नहीं हुए हैं। c/ 21-24 c/ 56-57

जहां तक सहायक अभिलेखपाल के इन 3 रिक्त पदों को रिवाईव जारी रखे व भरने की अनुमति देने का प्रश्न है इस संबंध में विभाग के पास विभिन्न कार्यालयों से दबाव आया हुआ है कि वे अपना पुराने रिकार्ड को वीड आउट करके नष्ट करना चाहते हैं इसलिए उनके रिकार्ड का अप्रेजल करके उन्हें अपना पुराना रिकार्ड नष्ट करने की अनुमति दी जाए; यह सारा कार्य सहायक अभिलेखपाल ही करते हैं परन्तु विभाग में सहायक अभिलेखपालों की कमी के कारण बहुत से विभाग विभागों का कार्य लम्बित पड़ा है जबकि इस विभाग को राज्य, मण्डल व जिला स्तर के ~~सभी कार्यालयों~~ में सरकारी अभिलेखों के संबंध में सभी उनके प्रशासन, रखरखाव एवं निस्तारण के लिए सभी सरकारी गतिविधियों में तालमेल एवं मार्गदर्शन देने, सरकारी व निजी अभिलेखों के प्रशासनिक सुविधाओं एवं ऐतिहासिक Noting/पृष्ठ-80

GOVERNMENT OF HARYANA
KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

गत पृष्ठ से आगे।

शोध के लिए प्राप्त करने तथा उनके रख-रखाव के चिरकाल तक संरक्षण करने का कार्य भी किया जाता है ताकि स्थायी महत्व के अभिलेख नष्ट न हो जाये। इसके अतिरिक्त मौखिक इतिहास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के स्वतन्त्रता सैनानियों एवं प्रमुख व्यक्तियों के संस्मरण टेप रिकार्ड करते हैं। विभाग ऐतिहासिक महत्व के अभिलेखों को सरकार करके उन्हें अवाप्त करता है तथा फिर उन्हें सूचीबद्ध करके उनका संरक्षण करता है तथा विभिन्न विषयों पर शोध करने वाले शोधकर्ताओं को उपलब्ध करता है ताकि वे इनसे अपनी शोध सम्बन्धी सामग्री नोट कर सकें इसके साथ ही मौखिक इतिहास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन स्वतन्त्रता सैनानियों ने भाग लिया था उनके संस्मरण टेप रिकार्ड करके रखते हैं ताकि उनके स्वर्गवास के बाद भी उन घटनाओं की यादगारें इतिहास में बनी रहे इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री महोदय के आदेशानुसार यह विभाग सभी विभागों के रिकार्डस की प्रकाशनार्थ सम्भावना के लिए रिटैंशन शैड्यूल तैयार करने का कार्य आरम्भ कर चुका है इसके साथ ही विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर अभिलेखों की प्रदर्शिनियां लगाई जाती है और प्रदर्शनी देखने वालों को अभिलेखों के संरक्षण के महत्व को बताई जाती है।

क्योंकि विभाग में इस समय केवल 3 सहायक अभिलेखपाल नियुक्त है जिन में से एक मुख्य कार्यालय में तथा दो मण्डल स्तर के क्षेत्रीय अभिलेखागार, गुड़गांव में सहायक अभिलेखपाल न होने के कारण वहां पर मुख्यालय से एक अभिलेखपाल को तथा क्षेत्रीय अभिलेखागार रोहतक में सहायक अभिलेखपाल न होने पर कारण वहां पर मुख्यालय

हरियाणा सरकार

गत पृष्ठ से आगे

से एक सहायक को अस्थायी मुख्यालय बदल कर भेजा गया है इस प्रकार मुख्य कार्यालय में से एक सहायक व एक अभिलेखपाल कार्यालयों में भेज दिये जाने के कारण प्रशासनिक तथा तकनीकी दोनों प्रकार के कार्यों के कार्यान्वन में बहुत कठिनाई ही नहीं आ रही है बल्कि बहुत से कार्य लम्बित हो गये हैं इसलिए दोनों अभिलेखागार गुड़गांव व रोहतक से अभिलेखपाल व सहायक अभिलेखपाल को मुख्य कार्यालय में वापस बुला कर सहायक अभिलेखपाल के उपरोक्त 3 पदों को रिवाईव कर तथा दोनों अभिलेखागार में एक-2 सहायक अभिलेखपाल गुड़गांव, रोहतक व मुख्य कार्यालय में नियुक्त करने के लिए 5 के स्थान अति आवश्यक है।

अतः कार्यालय का कहना है कि उपरोक्त तथ्यों व औचित्य को देखते हुए कृपया दि० [illegible]-6-2003 को वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार अभिलेखागार विभाग के सहायक अभिलेखपाल के उपरोक्त 3 रिक्त पदों को रिवाईव/जारी करने तथा इन तीनों पदों को भरने की अनुमति देने हेतु इसकी सहमति के लिए केस वित्त विभाग को भेज दिया जाए।

सील
14/1/2004

S.A. (on leave)

~~U.S.A.~~

SA
To give his comments.

20-1-04

SA

Level
C.A-A

हरियाणा सरकार

पूर्व पृष्ठ 16 से

कार्यालय के नोट का पूर्व पृ 13-16 पर
अवलोकन कर लिया जाए। इस नोट
का सम्बन्ध सहायक आन्तरिक लेखापाल के
3 पदों रिवाईव/पुनर्सृजित करने से
है। यह पद विभाग में 2 वर्ष से
खाली थे इन पदों 2003-04 में
जारी रखने की स्वीकृति 3-4-03 को
दी गई थी। विभाग ने यह भी
लिखा है कि नवीनतम विभागों के
पुराने रिकार्ड को वीड आउट करने
का दबाव पड़ रहा है। सहायक
आन्तरिक लेखापाल की कमी के कारण
यह काम लम्बित पड़ रहा है। विभाग ने
यह भी लिखा है कि सम्भवतः
वे यह भी रिकार्डस की प्रोविजनल फाईलें
विभागों के रिटेंशन शैड्यूल तैयार करने
के लिए प्रारम्भ कर चुका है। इस
का कार्य समय 2 पर प्रशासनिक
विभाग द्वारा लगाई जाती है। विभाग ने यह भी
लिखा था कि दिनांक 4-6-03 को
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव की
मीटिंग में इन पदों को रिवाईव
करने का निर्णय लिया गया था। यदि
उच्च अधिकारी कृपया उपरोक्त से सहमत हों तो कामध्य
देख लें बजट रखते हुए केवल सहायक
आन्तरिक लेखापाल के 3 पदों को
रिवाईव/पुनर्सृजित करने हेतु भेज दिया जाए
विभाग को
हित

कमल कान्त
20-1-04

US AA (On Travel)

S.S.A.A.
Where are the minutes of the meeting?

Dhandhu
3/2

Level C.A.A

GOVERNMENT OF HARYANA

KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

हरियाणा सरकार

पूर्व प्रस्ताव को

पूर्व प्रस्ताव पर SSA/-महोदय के आदेशों को स्टाफ की मीटिंग की proceeding अनुसार कार्य पर रखी है। नोट प्राप्त उपलब्ध है।

— [signature]
10-2-?

SSA/-

पी/के

to note
C.A.A
FD-II

GOVERNMENT OF HARYANA

KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

हरियाणा सरकार

विभाग के मंडल स्तर पर 4 उप कार्यालय हैं । अभिलेखों की उचित संभाल के लिए सहायक निदेशकों की सहायता के लिए प्रत्येक मंडल स्तरीय कार्यालय में एक-एक अभिलेखापाल/सहायक अभिलेखापाल का होना वास्तव में ही अति आवश्यक है । मुख्य कार्यालय में भी इस उद्देश्य के लिए दो सहायक अभिलेखापालों का होना अति आवश्यक है । इस प्रकार विभाग का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायक अभिलेखापाल के 6 पदों की अति आवश्यकता है । परन्तु इस समय केवल 3 सहायक अभिलेखापाल हैं, जिनमें से एक हिसार में, एक अम्बाला में तथा एक मुख्य कार्यालय, पंचकुला में है । अभिलेखापाल विभाग में 3 हैं, जिनमें से दो मुख्य कार्यालय, पंचकुला में तथा एक गुड़गांव कार्यालय में नियुक्त है । अभिलेखापालों/सहायक अभिलेखापालों की पोस्टिंग व आवश्यकता का विवरण निम्न अनुसार है:-

कार्यालय	नियुक्त अभिलेखापाल	नियुक्त सहायक अभिलेखापाल	सहायक अभिलेखापालों की आवश्यकता
हिसार	-	1	-
रोहतक	-	-	1
गुडगांव	1	-	-
अम्बाला	-	1	-
मुख्य कार्यालय	2	1	2
कुल जोड़	3	3	3

वर्ष, 2002 में वित्त विभाग द्वारा जारी हिदायतों के अन्तर्गत 2 वर्ष से अधिक समय से खाली रहने के कारण सहायक अभिलेखापाल के 3 पद समाप्त हो गये थे ।

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 4.6.2003 को हुई मीटिंग में सहायक अभिलेखापाल के इन 3 पदों को बहाल/सृजित करने का निर्णय लिया गया था ।

अतः उपरोक्त को विचार में रखते हुए अभिलेखागार विभाग के सहायक अभिलेखापाल के 3 पदों को बहाल/सृजित करने तथा इनको भरने की अनुमति के लिए केस वित्त विभाग को भेज दिया जाए ।

(नवराज सन्धु)
विशेष सचिव अभिलेखागार,
13.2.2004

आयुक्त अभिलेखागार

-20-

हरियाणा सरकार

गत पृष्ठ 19 पर आदेशानुसार प्रारूप अनुमोदनार्थ/ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

सीमा
27/2/2004

कमल कान्त
27-2-04

RA AM

GOVERNMENT OF HARYANA
KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

हरियाणा सरकार

विषय

इस केस का संबंध हरियाणा में राज्य अभिलेखागार व क्षेत्रीय अभिलेखागारों की स्थापना व अभिलेखागार का विकास तीन साल स्कीम में दो वर्ष से खाली रहने पर समाप्त सहायक अभिलेखपाल के 3 पदों को रिवाईज पद सृजित करने बारे से है।

इस केस का निरीक्षण गत पृष्ठ 13-20 पर किया था निरीक्षण पश्चात आयुक्त महोदय ने निम्नलिखित सूचना चाही थी।

"क्या दि: 4-6-2003 की बैठक की कार्यवाही मुख्य मंत्री महोदय से अनुमोदित कराई गई है।"

उपरोक्त सूचना के अंतर्गत विभाग ने पि.सं. द्वारा सूचित किया है कि दि: 4-6-2003 की बैठक की कार्यवाही माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुमोदित नहीं कराई गई थी। यह बैठक वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव वित्त विभाग की अध्यक्षता में हुई थी और बैठक की कार्यवाही भी वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, वित्त महोदय की अध्यक्षता में हुई थी।

सहा.
1/3/2004

S.A.

कार्यालय के उपरोक्त नोट का अवलोकन कर लिया जाए। इस केस का संबंध सहायक अभिलेखपाल के 3 पदों को रिवाईज / पुनर्सृजित करने से है। पूर्ण प्रस्ताव का विस्तार पूर्वक वर्णन इस ... पृ. 13-18 पर कर लिया जाए। पूर्व पृ. 19 पर आयुक्त, अभिलेखागार नोट ... से

हरियाणा सरकार

पूर्व सन्दर्भ द्वारा

को ओब्जरवेशन के सन्दर्भ में विभाग से पूछा गया था जो विभाग ने पी.प. द्वारा विभाग दिया है तथा दिनांक सूचित किया है बैठक की कार्यवाही 4-6-03 को मंत्री महोदय से अनुमोदित करवा कर कार्रवाई गई थी। फाईल पुनः प्रस्तुत है।

[signature]
1-3-04

133-CAA
1/3/04
3/3/04

S/AA

[signature]
1/3/04

CAA

यह स्थिति पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में भी की बैठक की कार्यवाही 4/6/03 की थी। कृपया अनुमोदन करने का कष्ट करें ताकि उचित विभाग को भेजने हेतु मामला पहले का प्रस्तुत किया जा सके।

[signature] 2/3/04
अनुभाग, अभिलेखागार

मुख्यमंत्री

C.M. has approved as proposed.
4/3/2004
(Balbir Singh Malik)
DPSCM-I

मुख्य मंत्री सचिवालय हरियाणा 1616
दिनांक 3/3/04

Recd. By P.S.C.M.-I
Diary No. 420
Date 3/3/04 4/3/04

CAA

पूर्व पृष्ठ से

हरियाणा सरकार

पृष्ठ क्रमांक-19 पर वर्णित प्रस्ताव (3 पदों को बहाल/पुर्नसृजित करने एवं भरने की अनुमति प्रदान करने हेतु वित्त विभाग को प्रस्तुत है।

[illegible] [illegible] 7/3/08
आयुक्त, अभिलेखागार

F.D/III

[illegible]

वित्त विकास शाखा III
डायरी नं0 1338
दिनांक 10/3/08

-94-

विषयः– **Proposal reg. the approval of minutes of meeting held on 4-6-2003 under the Chairmanship of Financial Commissioner & Principal Secy. to Govt.,Haryana, Finance Deptt. reg. re-structuring /right sizing of Archieves Department.**

****

वित्त विभाग प्रस्तावित केस में वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, वित्त महोदय जी की अध्यक्षता में दिनांक 4–6–2003 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर अभिलेखागार विभाग के मिन्टस को अनुमोदन करने के लिये सहमत है ।

2. प्रशासकीय विभाग को यह भी मंत्रणा दी जाती है कि वह Assistant Archivist के तीन पदों को रिवाईवल करने बारे पूर्ण औचित्य देते हुए अपना प्रस्ताव अलग से वित्त विभाग में भेजें ।

3. वित्त मंत्री महोदय जी ने अनुमोदन कर दिया है ।

अधीक्षक वित्त विकास–II
कृतेः वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।

आयुक्त एवं सचिव, अभिलेखागार । (on election duty)

अशा0क्र0 1/9/2003–4वि.विक.II/1338 दिनांक 31/3/2004

S.S. Archives

SA.

31/3/04

हरियाणा सरकार

गत पृष्ठ 24 पर वित्त विभाग की मंत्रणा। अनुसार प्रारूप अनुमोदनार्थ/ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है/

सीमा
5/4/2004

S.A

कमल कान्ता
7-4-04

2AA17

GOVERNMENT OF HARYANA
KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

हरियाणा सरकार

वि०प०

इस केस का संबंध Communication of Grant for the year 2004-05 से है। इसकी प्रति अभिलेखागार विभाग के अधीक्षक महोदय को भेजी दे गई है कृपया सूचनार्थ देख लें)

शीला.
30/4

S.A

कमल कान्ता
30-4-04

2AA17

27

हरियाणा सरकार

विषयः हरियाणा में राज्य अभिलेखागार व क्षेत्रीय अभिलेखागारों की स्थापना व अभिलेखागार का विकास –नान प्लान स्कीम में दो वर्ष से खाली रहने पर समाप्त सहायक अभिलेखपाल के 3 पदों को रिवाईव/पुर्नसृजित करने बारे 1

वि०प०

कृपया वि0 : प0 के अन्तर्गत निदेशक अभिलेखागार विभाग हरियाणा ने प्रशासकीय विभाग के यादी कमांक 2/28/2001-2 ए0ए0एम दिनांक 8.4.2004 के सन्दर्भ में सूचित किया है कि उनके विभाग मे सहायक अभिलेखपालों के 6 पद स्वीकृत थे जोकि भरे हुए थे परन्तु इनमें से दो पद श्री अवतार सिंह व श्रींमती मृदुला भार्गव के कमशः दिनांक 21-8-98 व 11-5-99 से अभिलेखपाल के पद पर पदोन्नति से तथा एक पद श्रीमती दीप्ता शर्मा के त्याग पत्र से दिनांक 11-5-99 से रिक्त हो गया था 1 इस प्रकार सहायक अभिलेखपाल के तीन पद रिक्त हो गये थे और क्योंकि यह रिक्तियां सीधी भर्ती के कोटे की थी इसलिए इनको भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग पत्र भी भेजा गया था परन्तु बाद में सरकार द्वारा रिक्त पदों की भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा दिया था जिसें हटवाने के लिए प्रशासकीय विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था परन्तु इसी दौरान वित्त विभाग ने उनके पत्र दिनांक 2.1.2003के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2002 से दो वर्ष से खाली पदों को समाप्त करने बारे हिदायतें जारी कर दी जिस कारण सहायक अभिलेखपाल के उपरोक्त 3 पद दिनांक 31-12-2002 को दो वर्ष से अधिक अवधि से रिक्त होने के कारण समाप्त किये जाने थे परन्तु विभाग ने दिनांक 4.6.03 को वितायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, वित्त विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक के समय अनुरोध किया था कि सहायक अभिलेखपाल के उपरोक्त 3 रिक्त पदों को समाप्त ना किया जावे बल्कि इनको भरने की अनुमति दी जाये। जिस पर दिनांक 4.6.2003 को वितायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अभिलेखागार विभाग, सहायक अभिलेखपाल के उपरोक्त 3 पदों को रिवाईव करने के लिए पूर्ण औचित्य के साथ वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जाए 1 इस बैठक की कार्यवाही जोकि अभिलेखागार विभाग द्वारा उनके यादी कमांक 2/36-2002-अभि/909-916

हरियाणा सरकार

दिनांक 30-6-2003 के अन्तर्गत जारी की गई थी का नोटिंग पृष्ठ 25 पर वित्त विभाग ने अनुमोदन कर दिया है 1

जहां तक सहायक अभिलेखपालों के इन तीन पदों को रिवाईव करने तथा भरने की आवश्यकता बारे में औचित्य का प्रश्न है अभिलेखागार विभाग ने इस सम्बन्ध में सूचित किया जाता है उनके इस विभाग के मुख्य कार्यालय में तथा मण्डल स्तर पर क्षेत्रीय अभिलेखागारों में तकनीकी पक्ष के सभी कार्य सहायक अभिलेखपालों द्वारा किये जाते है 1 विभाग के पास विभिन्न कार्यालयों से दवाब आया हुआ है कि वे अपने पुराने रिकार्ड को वीड-आउट करके नष्ट करना चाहते हैं इसलिए उनके रिकार्ड का अप्रेजल करके उन्हें उनका पुराना रिकार्ड नष्ट करने की अनुमति दी जावे 1 इसके अलावा अभी इस विभाग को पुर्नवास विभाग की लगभग 10000 फाईलें प्राप्त हुई हैं जिनका स्थायी रूप से व्यवस्थिकरण व सरंक्षण किया जाना है 1 राज्य के मण्डल व जिला स्तर के सभी कार्यालयों में सरकारी अभिलेखों के सम्बन्ध में उनके प्रशासन, सरंक्षण एवं निसरण के लिए सभी गतिविधियों में तालमेल एवं मार्गदर्शन भी करता है, ताकि स्थायी मूल्य के अभिलेख नष्ट न हो जायें 1 विभाग ऐतिहासिक महत्व के अभिलेखों का सर्वेक्षण करके उन्हें अवाप्त करता है तथा फिर उन्हें व्यवस्थित करके उनका सरंक्षण करते है और विभिन्न विषयों पर शोध करने वाले शोध कर्ताओं को उसे उपलब्ध कराते है, इसके साथ ही मौखिक इतिहास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन स्वतन्त्रता सैनानियों ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया था उनके संस्मरण टेप रिकार्ड करके टाईप कराते है और फिर उन पर उनकी पुष्टि करातें है ताकि उनके स्वर्गवास के बाद भी उन घटनाओं की यादगारें इतिहास में बनी रहें 1 इसके साथ ही विभाग समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर अभिलेख प्रदर्शिनियां लगाता हैं और प्रदर्शनी देखने वालों को अभिलेखों के सरंक्षण की महत्वता बतातें है ताकि अभिलेख जहां भी हैं, सुरक्षित रह सकें 1 विभाग के तकनीकी पक्ष पर सभी कार्य केवल सहायक अभिलेखपालों द्वारा ही किये जाते हैं और सहायक अभिलेख्पालों की कमी के कारण विभाग के उपरोक्त कार्यो में से बहुत सारे कार्य लम्बित रह गये हैं और विभाग की प्रगति बुरी तरह से बाधित हो रही है 1 इसलिएं विभाग में मुख्य कार्यालय पंचकूला में 2 तथा मण्डल स्तर पर क्षेत्रीय अभिलेखागार, अम्बाला, हिसार, रोहतक व गुडगांव में एक-एक की दर से

हरियाणा सरकार

4 यानी कुल 6 सहायक अभिलेखपाल होने अति आवश्यक है 1 परन्तु इस समय केवल क्षेत्रीय अभिलेखागार अम्बाला व हिसार में ही एक-एक सहायक अभिलेखपाल नियुक्त है क्षेत्रीय अभिलेखागाार रोहतक व गुडगांव में कोई सहायक अभिलेखपाल नहीं है 1 मुख्य कार्यालय में कार्यरत एक मात्र सहायक अभिलेखपाल की दिनांक 23.1.2004 उप निदेशक अभिलेख के पद पर नियुक्त हो जाने के कारण पर सहायक अभिलेखपाल कक एक पद और रिक्त हो गया है / अत: विभाग ने अनुरोध किया है कि सहायक अभिलेखपाल के 2 वर्ष से अधिक समय से रिक्त 3 पदों को दिनांक 4-6-2003 को हुई मिंटिग में लिये गये निर्णय अनुसार उपरोक्त औचित्य के आधार पर रिवाईव करने तथा भरने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए तथा साथ ही दिनांक 23.1.2004 को मुख्य कार्यालय पर कार्यरत सहायक अभिलेखपाल की उप निदेशक अभिलेख के पद पर हुई नियुक्ति से रिक्त हुए सहायक अभिलेखपाल के पद को भरना भी आवश्यक है 1 इस प्रकार सहायक अभिलेखपाल के 4 रिक्त पदों को भरने की अनुमति प्रदान की जावे 1

अत: उपरोक्त तथ्यों व औचित्य को देखते हुए अभिलेखागार विभाग को उनके कार्यालय में सहायक अभिलेखपाल के 2 वर्ष से अधिक समय से रिक्त पडे 3 पदों को रिवाईव करने तथा दिनांक 23.1.2004 से एक सहायक अभिलेखपाल के उप निदेशक अभिलेख नियुक्त होने से रिक्त हुए एक और पद सहित सहायक अभिलेखपाल के 4 रिक्त पदों को भरने की अनुमति देने के लिए केस वित्त विभाग को उनकी सहमति के लिए भेज दिया जाये 1

4/5/2004

S.A (on Training)

COMPUTER CENTRE
FINANCE DEPTT.
Central Diary No 5619
Date : 7/5/04

S.A.A

3/5/04

6/5/04

F.D. II

Level
C.A.A
F.D.-II
286-CAA
6/5/04

GOVERNMENT OF HARYANA

"KEEP HARYANA CLEAN & POLLUTION FREE"

— 30 —

Government of Haryana
Finance Department

हरियाणा सरकार
वित्त विभाग

विषयः— **Proposal reg. the filling up 3 posts of Assistant Archivist in Archives Department.**

****

प्रशासकीय विभाग यह स्पष्ट करें कि जहां–जहां इन पदों को भरा जाना है वहां पर इस समय कुल कितना स्टाफ है तथा इनकी डयूटीज़ (क्या हैं पूर्ण डिटेल सहित प्रस्ताव भेजें ।

Sd/-
अधीक्षक वित्त विकास–II
कृतेः वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।

आयुक्त एवं सचिव, पुरातत्व । (on time) 29/6/04.

अशा0क्र0 1/9/2003–4वि.विक.II/5619 दिनांक 29/6/04

S.S. Archives.

30/6

Raj 30.6.04

30-6-04

सा-2

निरन्तर ---

C:\Documents and Settings\FDII\My Documents\JBK\Restructuring of Archieves Deptt..doc

हरियाणा सरकार

कृ0 पूर्व पृष्ठ 30 एन पर वित्त विभाग द्वारा मांगी गई सूचना निम्नानुसार है:-

सहायक अभिलेखपाल के पदों को निम्न कार्यालयों में उनके सामने दर्शाए गए अनुसार भरा जाना है:-

कार्यालय का नाम	भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या
मुख्य कार्यालय-पंचकूला	सहायक अभिलेखपाल 2
क्षेत्रीय अभिलेखागार, रोहतक मण्डल, रोहतक	सहायक अभिलेखपाल 1
क्षेत्रीय अभिलेखागार गुड़गांव मण्डल, गुड़गांव	सहायक अभिलेखपाल 1
कुल	4

जिन उपरोक्त कार्यालयों में इन पदों को भरा जाना है वहां पर इस समय कुल स्टाफ निम्न अनुसार है:-

मुख्य कार्यालय पंचकूला

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6
1.	उप निदेशक अभिलेख	1	1	-	
2.	अधीक्षक	1	1	-	
3.	अभिलेखपाल	3	3	-	
4.	माइक्रोफोटोग्राफिस्ट	1	1	-	
5.	सहायक	3	3	-	
6.	सहायक लाइब्रेरियन	1	1	-	
7.	अभिलेख रेस्टोरर	1	1	-	
8.	ड्राईवर	1	1	-	
9.	कनिष्ठ आशुलिपिक	1	1	-	
10.	लिपिक	4	4	-	
11.	रिकार्ड अटैंडेंट	1	-	1	
12.	गेस्टेटनर आपरेटर	1	1	-	
13.	बाइंडर	1	1	-	
14.	गेटकीपर	1	-	1	
15.	डाक रूम अटैंडेंट	1	1	-	
16.	डुप्लिकेट बीयरर-कम-मेंडर	1	1	-	
17.	स्वीपर	1	1	-	
18.	पीयन	2	1	1	मुख्य कार्यालय पंचकूला में सहायक अभिलेखपाल के इन 2 रिक्त पदों को भरने की अनुमति दी जानी है ।
19.	सहायक अभिलेखपाल	2	-	2	
	कुल जोड़	28	23	5	

क्षेत्रीय अभिलेखागार रोहतक मण्डल, रोहतक

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	विशेष कथन
1.	सहायक निदेशक	1	1	-	
2.	बाइंडर	1	1	-	
3.	डुप्लिकेट बीयरर-कम-मेंडर	1	1	-	रोहतक कार्यालय में
4.	सहायक अभिलेखपाल	1	-	1	सहायक अभिलेखपाल के इस 1 रिक्त पद को भरे जाने की अनुमति दी जानी है
	कुल	4	3	1	

जारी....

पूर्व पृष्ठ से:-

क्र0सं0	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	विशेष कथन
	क्षेत्रीय अभिलेखागार, गुड़गांव मण्डल, गुड़गांव				
1.	सहायक निदेशक	1	1	-	
2.	बाइंडर	1	1	-	
3.	डुप्लिकेट बीयरर-कम-मंडर	1	1	-	
4.	सहायक अभिलेखपाल	1	-	1	गुड़गांव कार्यालय में सहायक अभिलेखपाल के इस 1 रिक्त पद को भरे जाने की अनुमति दी जानी है ।
	कुल जोड़	4	3	1	

सहायक अभिलेखपालों की ड्यूटीज निम्न अनुसार है:-

*. मण्डल स्तरीय क्षेत्रीय अभिलेखागारों के सहायक अभिलेखपालों द्वारा उनके मण्डल के कार्य क्षेत्र में तथा मुख्य कार्यालय के सहायक अभिलेखपालों व अभिलेखपालों द्वारा सचिवालय एवं निदेशालयों के सम्बन्ध में निम्न कार्य किए जाते है:-

1. सरकारी कार्यालयों तथा प्राइवेट संस्थाओं/व्यक्तियों के रिकार्ड का सर्वेक्षण -यह टीम वर्क है ।

2. रिकार्ड की प्रैस लिस्ट/तैयार करना ।

3. सरकारी विभागों को उनके रिकार्ड को वीड आउट करने की सलाह/अनुमति प्रदान करना ।

4. समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर अभिलेख प्रदर्शनियां लगाना-यह टीम वर्क है ।

5. अभिलेखागार के स्टैक में प्राप्त खस्ताहाल रिकार्ड की मुरम्मत व बाइंडिंग कराना तथा उसे नष्ट होने से बचाने का प्रबन्ध करना तथा न बचाए जाने वाले रिकार्ड की माइक्रोफिल्मिंग करना ।

6. विभागों को उनकी फंक्शनल फाइलो (व Record Retention Schedule) तैयार करने मे मार्गदर्शन देना

7. शोधकर्ताओं को शोध सुविधाएं प्रदान करना तथा उन द्वारा वांछित रिकार्ड की पेमेंट पर फोटोस्टेट प्रतियां प्रदान करना ।

8. स्वतंत्रता सैनानियों एवं आजाद हिन्द फौज के वालंटियरों के संस्मरण टेप रिकार्ड करना तथा उसे टाइप कराकर उनसे पुष्टि कराना ।

उपरोक्त कार्य क्षेत्रीय अभिलेखागारों में सहायक निदेशक एवं अभिलेखपाल की टीम द्वारा किए जाते हैं तथा मुख्य कार्यालय में एक-एक अभिलेखपाल तथा सहायक अभिलेखपाल की दो टीमों द्वारा किए जाते है तथा एक अभिलेखपाल कार्यालय में स्टैक यानि रिकार्ड को सम्भालता है व शोधकर्ताओं को शोध सुविधाएं प्रदान करता है ।

जारी - - -

पूर्व पृ0 से

हरियाणा सरकार

सहायक अभिलेखपाल के लिए निर्धारित work norm की प्रति नीचे प/रव पर प्रस्तुत है तथा इस पद की योग्यताएं साथ में संलग्न हैं ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभाग को इसके क्षेत्रीय अभिलेखागार, रोहतक मण्डल, रोहतक व गुडगांव मण्डल, गुडगांव में एक -2 सहायक अभिलेखपाल तथा मुख्य कार्यालय पंचकूला मे स्थित हरियाणा राज्य अभिलेखागार में दो सहायक अभिलेखपाल नियुक्त करने अति आवश्यक हैं

अत: कृपया अभिलेखागार विभाग को सहायक अभिलेखपाल के 4 रिक्तपदों को भरने की अनुमति देने के लिए केस वित्त विभाग को उनकी सहमति के लिए भेज दिया जाए ।

कंवर सिंह यादव
अधीक्षक
1.7.04

उ0नि0अ0

Rajwanti
1.7.04

DA/SSA

[illegible]
1/7/04

क नोट की दोहरी प्रति नीचे प/ख पर रखी है

[illegible]
13/7/04

A
13/7
4/7/04

F.D.-II

वित्त विकास शाखा II
डायरी न0 2945
दिनांक 13/7/04

GOVERNMENT OF HARYANA

Government of Haryana
Finance Department

हरियाणा सरकार
वित्त विभाग

विषयः— **Proposal reg. the Revival of 3 posts of Assistant Archivist and one post for filling up in Archives Department.**

****

वित्त विभाग को खेद है कि वह 3 सहायक अभिलेखापालों के पदों को रिवाईव करने में असमर्थ है ।

2 वित्त विभाग प्रस्तावित केस में केवल एक रिक्त हुए सहायक अभिलेखापाल के पद को भरने की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान करता है कि यह पद केवल सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार ही भरना होगा ।

2. वित्त मंत्री महोदय जी ने अनुमोदन कर दिया है ।

अधीक्षक वित्त विकास–II
कृतेः वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।

आयुक्त एवं सचिव, पुरातत्व । (Archives).

अशा0क्र0 1/9/2003–4वि.विक.II/2945 दिनांक 11/8/04

11.8.04.

B-CA 11/8/04

D.D.A.

12.8.04

(by hand)
12-8-04

12-8-04

C:\Documents and Settings\FDII\My Documents\JBK\Restructuring of Archieves Deptt..doc

1363
12/8/2004

हरियाणा सरकार

कृपया पूर्व पृष्ठ34 पर वित्त विभाग की मंत्रणा का अवलोकन करने का कष्ट करें ।

पूर्व पृष्ठ27-28 एंव 31-33 पर दिए गए विवरण के अनुसार वित्त विभाग से दि0 4.6.03 को वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में हुई अभिलेखागार विभाग की रिसटरकचरिंग एवं राईट साइजिंग की मिटिंग की कार्यवाही के पैरा-3 में लिए गए निर्णय अनुसार तथा उपरोक्त पृष्ठ-27 से 29 व 31 से33 पर दिए विवरण एंव औचित्य अनुसार विभाग की सहायक अभिलेखापाल के 2वर्षों से अधिक समय से रिक्त 3 पदों को रिवाइव करनेतथा श्रीमती राजवन्ती सहायक अभिलेखापाल की उप निदेशक के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति से दि0 23.1.04 से रिक्त सहायक अभिलेखापाल के रिक्त पद सहित सहायक अभिलेखापाल के 4 पदों को भरने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था।परन्तु वित्त विभाग ने पूर्व पृष्ठ34 पर उनकी मंत्रणा अनुसार 3 पदों को रिवाईव करने में असमर्थता प्रकट कर दी है तथा केवल दि0 23.1.04 से एक पद को ही भरने की अनुमति प्रदान की गई है ।

इस संबंध में पुनः निवेदन है कि वर्ष 2000-01 तक विभाग में सहायक अभिलेखापाल के 8 पद स्वीकृत थे जिनमेंसे 31.3.98 को 2वर्ष से अधिक समय से रिक्त रहने के कारण 2पद समाप्तकर दिए गए थे तब भी इस कार्यालय के यादी दि0 31.7.2000 को अनुरोध किया गया था कि इन पदों को समाप्त न किया जाए इन पदों की विभाग को आवश्यकता है । परन्तु वित्त विभाग ने उनके यादी दि0 10.8.02 के अंतर्गत हिदायत की थी कि इन पदों को समाप्त करके सूचना भेजी जाए तथा जिन पदों की आवश्यकता है उन्हे नये सिरे से सृजित कराना होगा । इस प्रकार 8 में से 2 पद समाप्त होने पर 6पद शेष रह गए थे।उपरोक्त 2 पदों को भरने के लिए वर्ष 1991 में अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल को मांग पत्र भेजा गया था और ये पद मण्डल ने उनके विज्ञापन संख्या 2/92 कैटेगरी न05 के अन्तर्गत विज्ञापित भी किये थे ~~परन्तु सीधी भर्ती पर प्रतिबन्ध लगने तक~~ साक्षात्कार नहीं रखा गया था।इसके बाद 19-4-99 के परिपत्र के अन्तर्गत वित्त विभाग ने नई भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा दिया था जिस कारण यह पद रिक्त रह गये थे ।

इसके पश्चात दिनांक 4-6-2000 को हुई विभाग की रिसटरकचरिंग की मिटिंग में बाद में रिक्त हुए 3 पद और समाप्त कर दिये गये थे और साथ ही यह मन्त्रणा दी गई थी कि वित्त विभाग को औचित्य भेज कर इन्हें

FNo 2/8-90 Dh
CP 65
FNo 2/8-90 Dh
CP 71
F No 2/8-90 Dh
CP 92
F No 2/31-84 Dh
CP 119-123
F No 2/31-84 Dh
CP 128-130
CP 103 Para 3

- 36 -

हरियाणा सरकार

रिवाईव करा लिया जाये परन्तु पूर्व पृष्ठ 27-28 एवं 31-33 पर दिए औचित्य पर विचार करके वित्त विभाग ने इन पदों को रिवाईव करने में असमर्थता प्रकट कर दी है ।

इस सम्बन्ध में पुन: निवेदन है कि अभिलेखागार विभाग में सहायक अभिलेखपाल के स्वीकृत पद 8 से घट कर केवल 3 ही पद रह गये हैं जिस कारण विभाग की गतिविधियां बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं । क्षेत्रीय अभिलेखागार रोहतक एवं गुड़गांव में नियुक्त सहायक निदेशक कार्यालय अध्यक्ष एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी होने के कारण बहुत सारा समय कार्यालय में लगाना पड़ता है अत: अभिलेखीय गतिविधियों को सम्पन्न करने के लिए रोहतक एवं गुड़गांवा में एक-एक सहायक अभिलेखपाल का होना अति आवश्यक है और मुख्य कार्यालय में भी सहायक-अभिलेखपाल का केवल रिक्त पद भरने की अनुमति दी गई है, यहां भी एक सहायक अभिलेखपाल की और अति आवश्यकता है ।

अत: अधिकारीगण सहमत हो तो सहायक अभिलेखपाल के 3 पदों को रिवाईव करने तथा भरने की अनुमति लेने के लिए केस वित्त विभाग को पुन: भेज दिया जाये ।

अधीक्षक
25-8-2004

उ0नि0अ0

Rajwanti 25-8-04

JSA/Dir. Arch

26/8/04

CAH

Let me know the output/progress of the present staff/officers in the Deptt.

13/9

JSA

24/9/04

DDA

-37-

हरियाणा सरकार

पूर्व पृष्ठ से

यदि अनुमोदन हो तो पूर्व पृष्ठ पर CAA मनोनयन हेतु नाम अलग देने के लिये फाईल Assit. Architect-II को मार्क कर दी जाये।

अनुमोदनार्थ / आदेशार्थ

अधीक्षक
14-10-04

18-10-04

18.10.04

AS
19/X

Arch-I O.R.F.L. 25/10

GOVERNMENT OF HARYANA

"KEEP HARYANA CLEAN & POLLUTION FREE"

पाप: तुम मत पियो शराब, मुझ को ले दो मेरी किताब।

हरियाणा सरकार

पूर्व पृष्ठ 37 पर आयुक्त महोदय, अभिलेखागार के आदेशानुसार विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों की अप्रैल से अब तक के कार्यों की रिपोर्ट संलग्न कर दी गई है। रिपोर्ट पताका 'क' पर प्रस्तुत है।

प्रस्तावित

[signature] 27/10

उ.नि.अ. II

[signature] 27/10/04

DDA

In connection with the query by CAA on pg. 36 noting, the progress report of the technical staff at HQ is enclosed at flag 'A'. If approved the case of reviving three posts of Asstt. Archivist may be sent to FD as per proposal of the Deptt from n/pg 35-36. For approval please.

Rajwanti
2.11.04

R/Today
24/11/04
4 ADA

JS / Dir Arch (away)

~~CAA~~

[signature] 8/11

4563
24/11/04

FD II

GOVERNMENT OF HARYANA

-39-

Government of Haryana
Finance Department

हरियाणा सरकार
वित्त विभाग

विषयः– **Proposal reg. the Revival of 2 posts of Assistant Archivist and one post for filling up in Archives Department.**

****

प्रशासकीय विभाग से अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव अगले वित्त वर्ष 2005–06 में वित्त विभाग के विचारार्थ भेजें ।

अधीक्षक वित्त विकास–II
कृतेः वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।

आयुक्त एवं सचिव, पुरातत्व ।

अशा0क्र0 1/9/2003–4वि.विक.II/4563 दिनांक 30/12/2004

Dy Director, Archives

4/1/05

6.1.05

SA 6-1-05

7/2/05

11.2.05

15.2.05

C:\Documents and Settings\FDII\My Documents\JBK\Restructuring of Archieves Deptt..doc

हरियाणा सरकार

विषय - हरियाणा राज्य में अभिलेखागार एवं क्षेत्रीय अभिलेखागारों की स्थापना तथा अभिलेखागार का विकास - नान प्लान - स्कीम - एन.ई. - 2005-06

इस सम्बन्ध में ध्यान में लाया जाता है कि वित्त विभाग ने अपने U.O.NO 1/9/2002-04 FD-II/2054 दिनांक 2-4-2004 के अन्तर्गत विचाराधीन योजनेत्तर स्कीम को वर्ष 2004-05 में जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की थी तथा वेतन भत्तों व कार्यालय के अन्य खर्चों के लिए रुपये 52,00,000/- की राशि स्वीकृत की थी।

111-114/C

विचाराधीन स्कीम को वर्ष 2005-06 में संलग्न स्टेटमेंट में दर्शाए गए पूर्व स्वीकृत 46 पदों को भी जारी रखना आवश्यक है अत: विचाराधीन नान प्लान स्कीम में स्वीकृत 46 पदों में से सहायक अभिलेखपाल के 3 पद जो कि 2 वर्ष से अधिक समय से रिक्त रहने के कारण समाप्त किए जाने की श्रेणी में आ गए थे परन्तु विभाग की रिस्ट्रक्चरिंग की मीटिंग में पूर्ण औचित्य भेजकर इन्हें रिवाईव कराने का निर्णय लिया गया था परन्तु इन पदों को रिवाईव करने में वित्त विभाग ने अपने अ.शा. क्र० 1/19-2003-4 वि.वि.II/2945 दिनांक 11.8.04 के

GOVERNMENT OF HARYANA

निरन्तर

"KEEP HARYANA CLEAN & POLLUTION FREE"

पूर्व पृष्ठ से — **हरियाणा सरकार**

अन्तर्गत अस्थायी व्यवस्था कर दी थी परन्तु विभाग का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए इन पदों की अति आवश्यकता होने के कारण इन पदों को रिवाईव करने के लिए वित्त विभाग को पुनः भेजा गया और (इन पदों को जारी रखने के लिए शामिल किया गया) अतः इन पदों को जारी रखा गया है। इसके परन्तु अभी ये पद भरे नहीं गए हैं। इसके अतिरिक्त विभाग के चार क्षेत्रीय अभिलेखागार कार्यालयों में स्थाई स्वीपर न होने के कारण कार्यालयों की सफाई के लिए दैनिक वेतन आधार पर 4 पार्ट टाईम स्वीपर तथा मुख्य कार्यालय पंचकूला में चौकीदार कंटिन्जेंसी से लगाने हैं। (जिन्हें) इन पदों को शामिल किया गया है। इन पदों बारे वित्त विभाग ने पूर्व पृष्ठ 39/न पर मन्जूरी दी थी कि प्रस्ताव अगले वित्त वर्ष में भेजें। अतः उक्त पदों सहित ANNEXURE में दर्शाए गए 46 स्वीकृत पदों को जारी रखने व इनके वेतन भत्तों व कार्यालय के अन्य खर्चों के लिए रु 72,85000/- की राशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव है जिसका विवरण निम्नानुसार है। ✓ 119/c in PUC ✓ 120/c

क्र.सं.	मद	राशि
1.	Salary + EL encashment of retiree	48,67,000 2,00,000
2.	Wages	50,000
3.	D.A.	4,92,000
4.	T.E.	1,00,000
5.	OE	3,00,000
6.	RRT	4,06000
7.	MV	25000
8.	M&S	3,50,000

GOVERNMENT OF HARYANA

निरन्तर—

"KEEP HARYANA CLEAN & POLLUTION FREE"

-5-42-

पूर्व पृष्ठ से

हरियाणा सरकार

क्र. सं.	मद	राशि
9.	OC	2,50,000
10.	POL	60,000
11.	MR	60,000
12.	LTC	50,000
13.	Ex-gratia	25,000
14.	Compensation(IT)	50,000
		72,85,000

इस सम्बन्ध में होने वाला खर्च मुख्य शीर्ष 2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति को उन्नति-नान प्लान-स्कीम- हरियाणा में राज्य अभिलेखागार/क्षेत्रीय अभिलेखागारों को राज्य अभिलेखागार का विभाग-स्थापना तथा अभिलेखागार 2005-06 को वहन होगा।

अतः अनुमोदन हो तो नियमाधीन स्कीम को वर्ष 2005-06 में [circled] मैनुअल में कार्य पर पूर्व के स्वीकृत 46 पदों के साथ जारी रखने व इन के वेतन भत्तों व [circled] कार्यालय के अन्य खर्चों के लिए रु 72,85,000/- की राशि स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया जाए।

नोट की डायरी प्रति नीचे पी/x पर रखी है

Level FCAA F.D

(signature) 2/3/05 अधीक्षक-अभि. शा

Dir Arch.

(signature) मंत्री जी 2/3/05
Rajwanti 3.3.05

(signature) 04/3/05

वित्त विकास शाखा II डायरी न० 796 दिनांक 5/3/05

FCAA

GOVERNMENT OF HARYANA

"KEEP HARYANA CLEAN & POLLUTION FREE"

FD II BL

Government of Haryana
Finance Department

हरियाणा सरकार
वित्त विभाग

विषयः– SNE Non Plan for the year 2005-2006-Setting up of State Archives and Regional Repositories and Development of Archieves..

-.-.-.-.-.-.-

वित्त विभाग प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तावित चालू स्कीम को व उसमें केवल चालू स्वीकृत पदो को वर्ष 2005 –2006 में आवर्ती (Recurring) नान प्लान आधार पर जारी रखने के लिये निम्नलिखित राशि की प्रशासकीय स्वीकृति देने के लिये निम्न शर्तो पर सहमत है :– (Rs. in lacs)

S.No.	Item	Amount
1.	Salary	48.00
2.	D.A.	7.59
3.	T.E.	0.35
4.	O.E.	2.00
5.	M.V.	0.10
6.	O.C.	0.20
7.	POL	0.35
8.	M.R	0.18
9.	Wages.	0.50
10.	M. & S.	0.30
11.	RRT	4.00
12.	LTC	0.10
13.	Ex-gratia	0.25
	Total	**63.92**

1. किसी नये पद की रचना नहीं की जायेगी ।
2. खर्चा स्वीकृत बजट व्यवस्था के अन्दर ही रहेगा तथा निर्धारित नार्म/नियमानुसार व सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा ।
3. प्रस्तावित वेतनमान राज्य सरकार के नवीनतम संशोधित/अनुमोदित वेतनमानों के अनुसार ही होंगें ।
4. सैलरी मद्दों की राशि बिना वित्त विभाग की अनुमति के किसी अन्य मद्द में डायवर्ट नहीं की जायेगी ।
5. वोट आन अकाऊंट के माध्यम से पहले जो तीन मास के लिये राशि की स्वीकृति की प्रदान की गई थी, का खर्चा उससे अधिक नहीं बढ़ेगा ।
6. सहायक अभिलेखपाल के तीन रिक्त पदों को रिव्यू करने के लिये अलग से प्रस्ताव भेजें ।

(Signature)

अधीक्षक वित्त विकास–II
कृतेः वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग।

उप सचिव, ~~अभिलेखागार~~ ।

अशा0 कमांकः– 1/9/2002/4एफ डी ll/ 796 दिनांक 5/7/05

पूर्व पृष्ठ से -

हरियाणा सरकार

कृपया पूर्व पृष्ठ 43/न 42 वित्त विभाग की मन्त्रणा अनुसार प्रारूप उप सचिव अभिलेख के अनुमोदनार्थ / हस्ताक्षरार्थ।

राजकुमार
6/7/05
अधीक्षक

कंवर सिंह यादव
7/7/05

उ. नि. अ

For signature please.
Rajwanti
7.7.05

Dy. Sec. Arch

Signed. In future Pl. put up PPL through DA.
1/7

DDA.

Rajo
14.7.05

DA कृ जारी करें।

कंवर सिंह यादव
14-7-05

उ.नि.अ

जारी क्रमांक 1152 - 1155
दिनांक 14.7.2005

स-2

राजकुमार
14/7/05
L-I

42

हरियाणा सरकार

विषय: हरियाणा में राज्य अभिलेखागार व क्षेत्रीय अभिलेखागारों की स्थापना व अभिलेखागार का विकास -नान प्लान स्कीम में दो वर्ष से खाली रहने पर समाप्त सहायक अभिलेखपाल के 3 पदों को रिवाईव करने व भरने की अनुमति देने बारे 1

कृपया पूर्व पृष्ठ 31-33 पर प्रस्ताव के अन्तर्गत विभाग द्वारा विषयाधीन नान-प्लान स्कीम के अन्तर्गत सहायक अभिलेखपाल के स्वीकृत 6 पदों में से दिनांक 31-12-2002 को 2 वर्ष से अधिक समय से रिक्त 3 पदों को रिवाईव करने व भरने तथा दिनांक 23-1-2004 से रिक्त हुए सहायक अभिलेखपाल केएक पद जोकि एक सहायक अभिलेखपाल की सीधी भर्ती द्वारा उप निदेशक अभिलेख के पद पर नियुक्ति होने से रिक्त हुआ था, को भरने की अनुमति देने के लिए वित्त विभाग से अनुरोध किया गया था जिस पर पूर्व पृष्ठ 34 पर वित्त विभाग ने दिनांक 23-1-2004 से रिक्त हुए एक पद को भरने की अनुमति दे दी थी और शेष 2 वर्ष से अधिक समय से रिक्त 3 पदों को रिवाईव करने में खेद प्रकट कर दिया था 1 इसके पश्चात् विभाग ने पूर्व पृष्ठ 35-38 पर अपने प्रस्ताव द्वारा वित्त विभाग से सहायक अभिलेखपाल के दिनांक 31-12-2002 को 2 वर्ष से रिक्त सहायक अभिलेखपाल के उपरोक्त 3 पदों को भी दिनांक 4-6-2002 को विभाग की रिसटरक्चरिंग बारे तत्कालीन वितायुक्त एवं प्रधान सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में हुई मिटिंग में लिये गये निर्णय तथा विभाग द्वारा दिये गये औचित्य के आधार पर रिवाईव करने व भरने की अनुमति देने का अनुरोध किया थाया था जिस पर वित्त विभाग ने पूर्व पृष्ठ 39 पर यह मन्त्रणा दी थी कि इस हेतु विभाग अपना प्रस्ताव अगले वित्त वर्ष 2005-06 में भेजें 1

अतः विभाग ने पूर्व पृष्ठ 40-42 पर अपने प्रस्ताव के अन्तर्गत वित्त विभाग से विषयाधीन नान-प्लान स्कीम को इसमें स्वीकृत पदों सहित वर्ष 2005-06 में जारी रखने तथा सहायक अभिलेखपाल के दिनांक 31-12-2002 को 2 वर्ष से अधिक समय से रिक्त उपरोक्त 3 पदों को रिवाईव करने का प्रस्ताव भेजा गया था जिसपर पूर्व पृष्ठ 43 पर वित्त विभाग ने विष्याधीन स्कीम को इसमें स्वीकृत पदों के साथ वर्ष 2005-06 में जारी रखने की स्वीकृति इस शर्त पर दी है कि सहायक अभिलेखपाल के उक्त 3 रिक्त पदों को रिवाईव करने के लिए प्रस्ताव अलग से भेजा जाये 1

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इस विभाग में सहायक अभिलेखपाल के 8 पद स्वीकृत थे जिनमें से 2 पद अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल हरियाणा को मांग पत्र भेज कर बार-बार स्मरण पत्र भेजने के बावजूद मण्डल द्वारा उम्मीदवारों का चयन न किये जाने के कारण दिनांक 31.3.98 को 2 वर्ष से रिक्त रहने के कारण समाप्त कर दिये गये थे इसके बाद वित्त विभाग ने उनके पत्र कमांक 5/6/2002-1 ब व क दिनांक 2.1.2003 के अन्तर्गत यह हिदायतें जारी की थी कि जो पद दिनांक 31.12.2002 को 2 वर्ष से खाली हैं उन्हें भी समाप्त समझा जाये 1 इस विभाग में दिनांक 31.12.2002 को सहायक अभिलेखपाल के शेष 6 पदों में से 3 पद उन पर नियुक्त सहायक अभिलेखपालों की पदोन्नतियों/त्यागपत्र देने से 2 वर्ष से अधिक अवधि से रिक्त थे 1

विभाग ने दिनांक 4-6-03 को वितायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग की अध्यक्षयता में हुई बैठक के समय उनसे अनुरोध किया था कि सहायक अभिलेखपाल के उपरोक्त 3 रिक्त पदों को समाप्त न किया जाये

निरन्तर - - -

क पूर्व पृष्ठ से

हरियाणा सरकार

बल्कि इनको भरने की अनुमति दी जाये जिसपर यह निर्णय लिया गया था कि सहायक अभिलेखपाल के उपरोक्त 3 पदों को रिवाईव करने के लिए पूर्ण औचित्य के साथ वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जाये 1 इस बैठक की कार्यवाही जोकि अभिलेखागार विभाग के यादी क्रमांक 2/36-2002-अभि/909-916 दिनांक 30-6-2003 के अन्तर्गत जारी की गई थी, की प्रति नीचे प/ 'क' पर उपलब्ध है 1 इस बैठक के निर्णय के मद्देनजर इन 3 रिक्त पदों को समाप्त नहीं किया गया और इनको वार्षिक स्वीकृतियों में प्रतिवर्ष जारी रखा गया है परन्तु वित्त विभाग से इनको भरने की सहमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है इसलिए इनको भरा नहीं गया ये पद अभी भी रिक्त हैं 1 यह 3 पद 2 वर्ष से अधिक समय से रिक्त क्यों रहे 1 इस सम्बन्ध में निवेदन है कि ये पद सीधी भर्ती कोटे थे इसलिए इनको भरने के लिए दिनांक 30.11.98 को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग पत्र भेजा था परन्तु रिक्त पदों को समाप्त करने बारे दिनांक 2.1.2003 को उपरोक्त हिदायतें जारी होने तक उम्मीदवारों का चयन नहीं हो सका 1 विभाग ने अपने यादी दिनांक 26.7.2000 के अन्तर्गत निदेशक स्थानीय स्वशासन को भी नगरपालिका में फालतू हुए कर्मचारियों में से इस पद की योग्यताएं रखने वाले कर्मचारियों के नाम भेजने के लिए लिखा था परन्तु उनके पास भी इस पद की योग्यता रखने वाला कोई कर्मचारी नहीं मिल सका जिस कारण ये पद दिनांक 31.12.2002 तक रिक्त रह गये थे और इसी दौरान वित्त विभाग ने उनके पत्र कमांक 5/6/2002-1 ब व क दिनांक 2.1.2003 के अन्तर्गत दिनांक 31-12-2002 को दो वर्ष से अधिक अवधि से रिक्त पदों को समाप्त करने के लिए हिदायतें जारी कर दी जिस कारण सहायक अभिलेखपाल के ये 3 पद समाप्त करने के दायरे में आ गये थे लेकिन वित्त विभाग का उपरोक्त पत्र जारी होने से पूर्व विभाग द्वारा इन पदों सहित विषयाधीन नॉन-प्लान स्कीम में स्वीकृत सभी पदों को वर्ष 2003-2004 में जारी रखने की स्वीकृति जारी करने के लिए विभाग ने अपने यादी कमांक 1/17-2002 अभि/1839 दिनांक 9-10-2002 के अन्तर्गत प्रस्ताव भेजा हुआ था जिस पर वित्त विभाग द्वारा उनके अशा0 कमांक 1/9-2002-4 वि0 वि0-11/6608 दिनांक 21-3-2003 द्वारा दी गई सहमति से प्रशासकीय विभाग ने उनके यादी कमांक 2/28/2001-2एए एम दिनांक 3-4-2003 के अन्तर्गत सहायक अभिलेखपाल के इन 3 रिक्त पदों सहित सभी स्वीकृत पदों को वर्ष 2003-04 में जारी रखने की स्वीकृति जारी कर दी गई थी और सहायक अभिलेखपाल के उपरोक्त 3 रिक्त पदों को समाप्त करने बारे अलग से कोई नोटिफिकेशन आदि जारी नहीं किया गया है और इस प्रकार यह पद वास्तविक रूप में समाप्त नहीं किए गए हैं 1 यह पद वर्ष 2005-06 के दौरान भी दिनांक 28-2-2006 तक के लिए स्वीकृत पदों में शामिल हैं परन्तु इनको भरने के लिए वित्त विभाग ने अनुमति नहीं दी है इसलिए इनको रिक्त रखा हुआ है 1

जहां तक सहायक अभिलेखपाल के इन 3 रिक्त पदों को रिवाईव/जारी रखने व भरने की अनुमति देने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में सूचनार्थ है कि विभाग के पास विभिन्न कार्यालयों से दवाब आया हुआ है कि वे अपने पुराने रिकार्ड को वीड आउट करके नष्ट करना चाहते हैं इसलिए उनके रिकार्ड का अप्रेजल करके उन्हें उनका पुराना रिकार्ड नष्ट करने की अनुमति दी जावे 1 यह सारा कार्य सहायक अभिलेखपाल ही करते हैं परन्तु विभाग में सहायक अभिलेखपालों की कमी के कारण बहुत से विभागों का उपरोक्त कार्य लम्बित पड़ा है 1 जबकि इस विभाग को राज्य, मण्डल व जिला स्तर के सभी कार्यालयों में सरकारी अभिलेखों के

GOVERNMENT OF HARYANA

निरन्तर --

"KEEP HARYANA CLEAN & POLLUTION FREE"

सम्बन्ध में उनके प्रशासन, संरक्षण एवं निसरण के लिए सभी गतिविधियों में तालमेल एवं मार्गदर्शन देने सरकारी व निजी अभिलेखों को प्रशासनिक सुविधाओं, एवं ऐतिहासिक शोध के लिए प्राप्त करने तथा उनके रख-रखाव व चिरकाल तक संरक्षण करने का कार्य भी किया जाना होता है ताकि स्थायी मूल्य के अभिलेख नष्ट न हो जायें 1 इसके अतिरिक्त मौखिक इतिहास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के स्वतन्त्रता सैनानियों एवं प्रमुख व्यक्तियों के संस्मरण टेप रिकार्ड करने होते हैं 1 विभाग ऐतिहासिक महत्त्व के अभिलेखों का सरंक्षण करके उन्हें अवाप्त करता है तथा फिर उन्हें व्यवस्थित करके उनका सरंक्षण करता है तथा विभिन्न विषयों पर शोध करने वाले शोध कर्ताओं को उपलब्ध करता है, ताकि वे इनमें से अपनी शोध सम्बन्धी सामग्री नोट कर सकें इसके साथ ही मौखिक इतिहास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन स्वतन्त्रता सैनानियों ने भाग लिया था उनके संस्मरण टेप रिकार्ड करके टाईप कराकर उनपर उनकी पुष्टि करा कर रिकार्ड में रखता है ताकि उनके स्वर्गवास के बाद भी उन घटनाओं की यादगारें इतिहास में बनी रहें 1 इसके अतिरिक्त यह विभाग सभी विभागों के रिकार्डस् की फंक्शनल फाइलों के लिए रिटैंशन शेड्यूल तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर चुका है 1 इसके साथ ही विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर अभिलेख प्रदर्शिनियां लगाई जाती हैं और प्रदर्शनी देखने वालों को अभिलेखों के सरंक्षण की महत्वता बताई जाती है ताकि अभिलेख जहां भी हैं, सुरक्षित रह सकें 1 उपरोक्त के दृष्टिगत यह स्पष्ट किया जाता है कि विभाग के तकनीकी पक्ष के सभी कार्य सहायक अभिलेखपालों द्वारा किये जाते हैं 1 संक्षेप में सहायक अभिलेखपाल का पद धुरी के समान है जिस पर समस्त अभिलेखागार की तकनीकी पक्ष की गतिविधियां घूमती हैं व वर्तमान में सहायक अभिलेखपालों की कमीं के कारण विभाग का कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है 1

क्योंकि विभाग में सहायक अभिलेखपाल के 6 पदों में से इस समय केवल 3 सहायक अभिलेखपाल नियुक्त हैं जिन में से एक पद को मुख्य कार्यालय में एक लिपिक को सीधी भर्ती कोटा के पद के समक्ष मण्डल से अभ्यर्थी आने तक तदर्थ आधार पर बतौर काम चलाउ प्रबन्ध पदोन्नति करके लगाया हुआ है तथा दो मण्डल स्तर पर क्षेत्रीय अभिलेखागार अम्बाला व हिसार में नियमित रूप से नियुक्त हैं और 3 पद जोकि दिनांक 31.12.2002 को 2 वर्ष से रिक्त थे को भरने के लिए वित्त विभाग की अनुमति वांछित है क्योंकि मण्डल स्तरीय क्षेत्रीय अभिलेखागार, गुडगांव में सहायक अभिलेखपाल न होने के कारण वहां पर मुख्यालय से एक अभिलेखपाल को तथा क्षेत्रीय अभिलेखगार रोहतक में सहायक अभिलेखपाल न होने के पर कारण वहां पर भी मुख्य कार्यालय से एक अभिलेखपाल को उनका अस्थायी मुख्यालय बदलकर वहां भेजा गया है और इस प्रकार मुख्य कार्यालय में से दो अभिलेखपालों को उपरोक्त कार्यालयों में भेज दिये जाने के कारण तथा मुख्य कार्यालय में लिपिक को तदर्थ काम चलाउ प्रबन्ध के तौर पर तदर्थ सहायक अभिलेखपाल नियुक्त करने से सभी तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्यों के कार्यान्विन में बहुत कठिनाई ही नहीं आ रही है बल्कि बहुत से कार्य लम्बित हो गये हैं इसलिए वित्त विभाग के परिपत्र कमांक 5/6/2002-1 ब व के दिनांक 2.1.2003 में ढील देते हुए सहायक अभिलेखपाल के उपरोक्त 3 पदों को रिवाईव करना व भरना अति आवश्यक है ताकि क्षेत्रीय अभिलेखागार गुडगांव व रोहतक में एक-एक तथा मुख्य कार्यालय में एक सहायक अभिलेखपाल नियुक्त करके तथा वहां से दोनो अभिलेखपालों को मुख्य कार्यालय में वापस बुलाया जा सके और क्षेत्रीय अभिलेखागारों व मुख्य कार्यालय में कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके 1 अत:

-48-

हरियाणा सरकार

सहायक अभिलेखपाल के 3 रिक्त पदों को रिवाईव करना यानी जारी रखना व भरा जाना नितान्त आवश्यक है 1

अतः अधिकारीगण सहमत हों तो उपरोक्त तथ्यों व औचित्य को देखते हुए कृपया दिनांक 4.6.2003 को वितायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार दिनांक 31.12.2002 को 2 वर्ष से रिक्त पदों को समाप्त करने बारे वित्त विभाग के परिपत्र कमांक 5/6/2002-1 ब व क दिनांक 2.1.2003 में ढील देते हुए अभिलेखागार विभाग के सहायक अभिलेखपाल के उपरोक्त 3 रिक्त पदों को रिवाईव करने यानी जारी रहने देने तथा कर्मचारी चयन आयोग या सरकार द्वारा घोषित/अनुमोदित की जाने वाली अन्य ऐजेंसी के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरने की अनुमति देने हेतु केस वित्त विभाग को भेजने के लिए माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के अनुमोदनार्थ 1

कंवर सिंह यादव

(कंवर सिंह यादव)
अधीक्षक
9-9-05

उ0नि0अभि0

Rajwanti
9.9.05
(DDA)

Dir Arch.

Pl. speak.
13/9

Dir. Arch.

May approve Please
17/2/06

2/12/06

39-CAA
2428.2001-02
17/2/06

15-888
13/9/05

सिन विकास आयुक्त II
डायरी नं0 413
दिनांक 21-2-2006

GOVERNMENT OF HARYANA

"KEEP HARYANA CLEAN & POLLUTION FREE"

-49

Government of Haryana
Finance Department

हरियाणा सरकार
वित्त विभाग

Subject: हरियाणा में राज्य अभिलेखागार व क्षेत्रीय अभिलेखागारों की स्थापना व अभिलेखागार का विकास नान–प्लान स्कीम में दो वर्ष से खाली रहने पर समाप्त सहायक अभिलेखापाल के 3 पदों को रिवाईव करने व भरने की अनुमति देने बारे ।

....

Finance Department observes that there is no term as revival, it involves creation of posts. The case may be processed afresh for creation of posts after adopting the proper procedure i.e. the case may be examined in view of Budget provision for 2006-07 and may be sent after approval of Minister-in-Charge/CM with full justification.

Superintendent FD-II
for Financial Commissioner & Principal Secretary
to Government Haryana, Finance Department.

To

The Commissioner & Secretary to Govt., Haryana, Archieves Department..

U.O. No. 1/9/2002-4FDII/413 Dated 5/4/06

DAA

17-4-06

DDA

17.4.06

Asstt

पूर्व पृष्ठ से -

हरियाणा सरकार

सहायक अभियन्ताओं के 3 पद पुनर्सृजन करने बारे वित्त विभाग को भेजे जाने वाले प्रस्ताव का प्रारूप अनुमोदनार्थ

अ०लि०
1/6

उ०लि० अ०

माननीय मुख्यमन्त्री / सिंचाई मन्त्री से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है

रा०मन्त्री
1/6

Fir

हरियाणा सरकार

Sub: Setting up of Haryana State Archives, Regional Repositories & Development of Archives in Haryana- Proposal to create three posts of Assistant Archivists in the Archives Department.

....

This case relates to the creation of three posts of Assistant Archivists in this Department. The Finance Department has asked the Department to send a fresh proposal for creation of posts.

U.N.P-49

The main functions of the Archives Department, Haryana are as under:

- To survey and acquire the Public & Private Records of historical, political, administrative, economic, religious, social and cultural value.
- To guide and manage the Public Records, which is growing geometrically, the Department suggests various means to all the Government Offices to minimize their records by way of destroying their unwanted records.
- To provide the records to various Government Departments, on their demand.
- To preserve the old records on the scientific lines for posterity, so that valuable records may not be destroyed with the passage of time.
- To tape-record the memoirs of freedom fighters and eminent personalities of the State to bridge the gap between written and factual history.
- To provide research facilities to the bona-fide research scholars.
- To prepare the Reference Media of the Records available in the Department to facilitate the research scholars in dissemination of information.
- To hold the archival exhibitions to inculcate the archival consciousness among general public.

All the activities mentioned above, are carried out by the technically trained Assistant Archivists only. The post of Assistant Archivist is the Hub of the Department, on which the whole activities revolve. And at present, there are only three posts of Assistant Archivists are available in this Department, one post is at Head Office and remaining two posts are in Regional Offices of Ambala and Hisar. It is mentioned here that the Department has four Regional Offices in the State at Divisional level. Due to non-availability of these technical posts in two Regional Offices of Gurgaon and Rohtak and only one post at Head Office, the entire technical work of the Department is effecting seriously.

It is mentioned here that there were eight sanctioned posts of Assistant Archivists in the Department up to 2000-01. Out of these posts, two posts of Assistant Archivist were abolished in terms of Finance Department letter No. 5/5/92-1B&C dated 19th April, 1998 **GOVERNMENT OF HARYANA**

= Flag 'A'

It will not out of place to mention here that one post of Assistant Archivist fell vacant on 1st March, 1995 with the promotion of Smt. Mridula Bhargava to the post of Archivist. Another post of Assistant Archivist fell vacant on 22nd December, 1995 with the promotion of Shri Avtar Singh to the post of Archivist. The third post of Assistant Archivist fell vacant on 26th August, 1999 with the resignation of Smt. Deepta Sharma. These three posts belonged to Direct Recruitment. So, the Department had sent the requisition to fill up these posts to Haryana Staff Selection Commission. The Finance Department has issued the Instructions vide its letter No. 5/6/2002-1 B&C dated 2nd January, 2003 that all posts lying vacant for more than 2 years as on 31.12.2002 shall stand abolished.

In the meantime the Government had banned to fill up the vacant posts, so these three posts of Assistant Archivists could not filled up. These posts would have been abolished under the light of Finance Department letter dated 2nd January, 2003, but in the meantime a meeting on restructuring/ right sizing of Archives Department was held on 4th June, 2003 under the chairmanship of the Financial Commissioner & Principal Secretary to Government, Haryana, Finance Department, in which it was decided that the Department will send a proposal to the Finance Department with complete justification for the revival of three posts of Assistant Archivists.

It is also mentioned here that the Finance Department issued yearly sanctions to continue these posts but not allowed to fill up these posts. As such, these posts are kept vacant.

In compliance to the decision taken in the meeting held on 4th June, 2003, the Department has sent a proposal to revive these three posts of Assistant Archivists on 22nd December, 2003 and 29th April, 2004. But the Finance Department has expressed their regret to revive these posts vide their U.O. No. 1/9/2003-4FD-II/2945 dated 11th August, 2004. The Department has sent this proposal again to the Finance Department, but they have advised to send this proposal in the Financial Year 2005-06.

Acting upon the advice of the Finance Department, the Department has sent a fresh proposal for revival of three posts of Assistant Archivists. But the Finance Department has sent back the proposal with the following remarks:

"Finance Department observes that there is no term as revival, it involves creation of posts. The case may be processed afresh for creation of posts after adopting the proper procedure i.e. the case may be examined in view of Budget provision for 2006-07 and may be sent after approval of Minister-in-charge/CM with full justification."

पूर्व पृष्ठ से —53—

हरियाणा सरकार

In compliance to the observations made by the Finance Department, a fresh proposal has been prepared. It is also mentioned here that budget provision has already been made in the year 2006-07.

If approved, this proposal for creation of three posts of Assistant Archivists may be sent to Finance Department after getting the approval of Hon'ble Minister for Archives.

Submitted for approval please.

A.K. Sona 27-7-06

D.D.A.

Rajwanti 27/7/06

Dir Archi.

1/8

CAA

9/8/06

Dr. Harbakhsh Singh, C.A.&.I

Min. Archives

17-8-06

162- CAA 8-8-06

107-SAA 1/8/06

343 18/8/06

Museums, Archives and Cooperation

O/o Addl. PSCM

8693 18/8/06

9555 18/8/06

21/8

CM

CM has approved.

19/08/06 (Chhatar Singh) Addl. PSCM-I

Minister Archi. On Tour 25-8-06

CAA

30-8-06

2715 1/9/06

SSA (Bus)

4801

GOVERNMENT OF HARYANA

E.D. 9.06

"KEEP HARYANA CLEAN & POLLUTION FREE"

Government of Haryana
Finance Department

हरियाणा सरकार
वित्त विभाग

-54-

Subject:-Setting up of Haryana State Archives, Regional Repositories & Development of Archives in Haryana- Proposal to create three posts of Assistant Archivists in the Archives Department.

****

In relaxation of Finance Department's instructions issued vide letter No. 5/6/92-1B&C dated 2-1-2003, Finance Department agrees to sanction three posts of Assistant Archivists in the pay scale of Rs. 5450-8000 in the Archives Department with the following conditions :-

1. The pay scale of the posts will be according to sanctioned pay scale by the Govt.
2. The posts shall be filled up through H.S.S.C.
3. The expenditure involved will be met out within the sanctioned budget for the year 2006-07 and no extra budget shall be demanded .

Superintendent FD-II
for Financial Commissioner & Principal Secretary
to Government Haryana, Finance Department.

To

The Commissioner & Secy. to Govt.,Haryana,
Archives Department. (Busy)

U.O. No. 20/1/06-4FDII/2715 Dated 19-9-06

DA/ SSAA
20/9/06
DDA
20-9-06
Asstt Ah

Government of Haryana

विषय:- हरियाणा में राज्य अभिलेखागार व क्षेत्रीय अभिलेखागारों की स्थापना व अभिलेखागार का विकास-नॉन प्लान स्कीम में समाप्त की गई बाइंडर के 4 पदों को रिवाईव/ पुर्नसृजित करने बारे ।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में ध्यान में लाया जाता है कि वर्ष 2002-03 में विभाग में बाइंडर के 6 पद स्वीकृत थे । जिनमे से 2 पद मुख्यालय पंचकुला व एक-एक पद क्षेत्रीय अभिलेखागारों अम्बाला, हिसार, रोहतक व गुडगाँव में स्वीकृत थे व जिनमे से 5 पद भरे हुए थे । परन्तु इसी दौरान वित्त विभाग ने अपने पत्र दिनांक 2.1.2003 के अंतर्गत दिनांक 31.12.2002 से 2 वर्ष से रिक्त पदों को समाप्त करने के सम्बन्ध में हुई मीटिंग दिनांक 4.6.2003 में बाइंडर के पद बारे यह निर्णय लिया गया " Filled Post of Binder may be declared surplus and these post will stand abolished from the date from which present incumbents of these posts retire from service" ।

इस प्रकार उस समय बाइंडर के पद पर 5 कर्मचारी कार्यरत थे । जिनकी सेवा निवृति के साथ ही यह स्वीकृत पद समाप्त होते गये । इस समय विभाग में बाइंडर के सिर्फ 2 पद भरे हुए है । जिनमे से एक पद पर मुख्यालय में श्री चंद्रभान, बाइंडर कार्यरत है, जो दिनांक 31.12.2020 को सेवा निवृत होने है व एक पद पर अम्बाला कार्यालय में श्री धर्मपाल, बाइंडर कार्यरत है जो दिनांक 30.11.2022 में सेवा निवृत होने है । उक्त दोनों कर्मचारियों की सेवा निवृति के बाद बाइंडर के दोनों पद समाप्त हो जायेंगे ।

विभाग का मुख्य कार्य दुर्लभ रिकॉर्ड को चिरकाल तक संरक्षित रखना है ताकि स्थायी मूल के अभिलेख नष्ट न हो जाये । मुख्यालय व क्षेत्रीय अभिलेखागारों में निम्नलिखित रिकार्ड्स है:-

Public Records

Head Office

1. Secretariat

(i)	Secretariat Records (East Punjab Government)	1944-1949
(ii)	Chief Minister Secretariat	1976-1981
(iii)	Financial Commissioner, Revenue	1901-1990

2. Divisions

(a) Ambala Divisions, Press listed Records	1857-1880
(b) Delhi Divisions, Press listed Records	1861-1880
(c) Hisar Divisions, Press listed Records	1909-1947

3. Districts

(a) Ambala District	1898-1962
(b) Gurgaon District	1912-1969
(c) Hisar District	1897-1967
(d) Karnal District	1878-1967
(e) Rohtak District	1910-1963

Government of Haryana

4.	**Departments:**	
	(a) Agriculture Department	1962-1988
	(b) Animal Husbandary Department	1919-1986
	(c) Education Department	1960-1987
	(d) Fishries Department	1961-1996
	(e) Forest Department	1948-1991
	(f) Forest Department (wild life)	1966-1984
	(g) Industrial Training & Vocational Education Department	1968-1991
	(h) Irrigation Department	1851-1976
5.	**Government of India**	
	National Archives of India (Xerox copies of records related to Haryana)	1836-1936
6.	**Other States**	
	(i) Maharashtra State Archives (Xerox copies of records related to Haryana)	1761-1764
	(ii) Haqikat-i-Hal-i-Delhi Suba	6 volumes

Private Papers

(i) Books	53
(ii) Booklets	28
(iii) Diary/Bahi	4
(iv) Farman/Sanad	6
(v) Files	10
(vi) Manuscripts	191
(vii) Maps	3
(viii) Newspapers	45
(ix) Papers	1369
(x) Photographs	97
(xi) Registers	12
(xii) Rolls/Folios	94
(xiii) Stamps	21
(Xiv) volumes	4

Regional Repository, Ambala

1.	Ambala Division Non-Press listed records:	1815-1915
2.	Principal matters	1822-1894
3.	Deputy Commissioner Office, Ambala:	1846-1960

Government of Haryana

5.	Private Papers	1928-1961
6.	Manuscripts	1765-1883
7.	Gazetteers	1857-1980
8.	Newspapers	1966-1985
	Regional Repository, Rohtak	
1.	Deputy Commissioer Office, Rohtak & Gurgaon:	1857-1973
2.	Deputy Commissioner Office Karnal:	1820-1981
3.	Chief Commissioner. Delhi Records	1907-1943
4.	Ahed-i-Nawabi Jhajjar Urdu records	19th Century
	Regional Repository, Hisar	
1.	Hisar Division:	
	Principal Matters	1835-1903
2.	Commissioner's Office, Hisar	1906-1977
3.	Deputy Commissioner Office, Hisar	1803-1979
4.	Superintendent Central Jail, Hisar records	1899-1948

इसके अतिरिक्त अभिलेखागार विभाग सभी अन्य विभागों का सर्वे करता रहता है तथा सर्वे के दौरान पाए गए अभिलेखीय महत्व के रिकॉर्ड अवाप्त करता है। विभाग में उपलब्ध संरक्षित रिकॉर्ड की आवश्यकतानुसार समय-समय पर रिपेयर होती रहती है ताकि इन्हें चिरकाल तक संरक्षित रखा जा सकें। जिसके लिए रिकॉर्ड की फाइलें/किताबें/पांडुलिपियाँ आदि अनबाईंड करनी पडती है व रिपेयर उपरांत उक्त रिकाईस को रिबाईंड करना होता है।

अतः विभाग में रखे दुर्लभ रिकाईस चिरकाल तक संरक्षित रखने के लिए विभाग में बाइंडर का होना अति आवश्यक है। इसलिए मुख्यालय पंचकुला में बाइंडर के 2 पद व क्षेत्रीय अभिलेखागारों हिसार व रोहतक में एक-एक पद रिवाईव/ पुर्नसृजित करने बारे वित्त विभाग को केस भेंज दिया जाये।

कृपया अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है।

सहायक
28/8/2020

SA

Sweeti Gupta
28/8/2020

DDA.
NP. 55-57 for kind perusal & may be sent to F.D for approval pls.
Manju
28.8.2020
Deputy Director Archives
O/o Director, Archives Haryana

W. Dir (away)
W. P.S. Archives

Can the work not be done by outside agency or by hiring the services from market
28/8/2020
Principal Secretary to Govt. of Haryana,
Archives Department.

CFMS No – 1255
dated 28-8-2020

O/o PS Archives
File No 1255
Date 28-08-2020

Asstt I

Sweeti Gupta ... Manju ...

Government of Haryana

पूर्व पृष्ठ 57/N पर प्रधान सचिव अभिलेख महोदय के टिप्पणी के सम्बन्ध में ध्यान में लाया जाता है कि विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड की फोटोप्रतियां reseacrch scholar को उपलब्ध करवाने के लिए सिमित मात्रा में आवश्यकता अनुसार रिकॉर्ड को समय-समय पर अनबाइंड करके फोटो प्रति की जाती है उसके तुरंत बाद रिकॉर्ड को रिबाइंड करना पड़ता है । इस प्रकार उक्त कार्य को कार्यालय में ही करने के लिए बाइंडर का होना अतिआवश्यक है ।

विभाग में उक्त कार्य के लिए एजेंसी के माध्यम से बाईंडर रखा जा सकता है । यहाँ यह भी ध्यान में लाया जाता है कि पंचकुला उपायुक्त दर की सूची में बाइंडर के पद का वेतनमान निर्धारित नही है । अत: इस सम्बन्ध में उपायुक्त, पंचकुला को पत्र लिख कर बाइंडर के पद का वेतनमान निर्धारित करवाया जा सकता है ।

कृपया सूचनार्थ प्रस्तुत है ।

सहायक
10.9.2020

CFMS No:- 1299
dated 10-9-2020

Sweeti Kumari
10/9/2020

DDA.
For kind perusal of W.P.S. Archives pls.

Manju
10.9.2020

W. Dir. (away)
W.P.S. Archives